यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, अल्मोडा के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष तड़ियाल, ले.प. एवं श्री बी.बी.एम.त्रिपाठी, एवं श्री एस.एस.दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.03.2019 से 28.03.2019 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सतेन्द्र कुमार ले.प. एवं श्री एन.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.05.2015 से 23.05.2016 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 14/2011 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील रानीखेत**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1187.27
2016-17	785.70
2017-18	411.25

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (₹)		स्थापना (₹)		गैर स्थापना (₹)		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
		शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्‌वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....**B**.... श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, अल्मोडा** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, अल्मोडा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **- --------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्यय: **- ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 01- विलम्ब से TDS जमा किए जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 6.24 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 35(4) के अनुसार जिस माह में TDS की धनराशि की कटौती की जाये उसके अगले माह के अन्त तक शासकीय कोष में जमा करना चाहिये। इसी अधिनियम की धारा 35(8) के अनुसार यदि TDS की धनराशि विलम्ब से जमा की जाती है तो, TDS का दो गुणा तक अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, कर निर्धारण वाणिज्य कर, द्वितीय अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि 08 ठेकेदारों द्वारा TDS की धनराशि बिलम्ब से जमा किया गया था (सूची संलग्न)। इसलिए TDS की धनराशि ₹ 311762/- का दोगुना ₹ 623524/- अर्थदण्ड आरोपणीय था, जिसे विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “चूंकि समस्त विभाग वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) राज्य कर अल्मोड़ा के अंतर्गत है। अतः सभी प्रकरण संबन्धित खण्ड को संदर्भित किए जाएंगे, इसकी सूचना आपके कार्यालय को प्रेषित की जाएगी”।

अतः विलम्ब से TDS जमा किए जाने पर ₹ 6.24 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(₹ में)

क्रम सं.	ठेकेदार विभाग का नाम /	कटौती की गई TDS की धनराशि	कटौती की दिनांक	जमा करने की वांछित तिथि	वास्तविक जमा तिथि
1	सर्वश्री संजय वार्निश उध्योग चौखुटिया, अलमोरा अधिशासी / अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत	14799.00	05/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		6987.00	28/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		25420.00	28/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		24988.00	28/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		10219.00	28/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
2	सर्वश्री गणेश सिंह अटवाल / अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत	9626.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		8003.00	23/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
3	सर्वश्री गणेश सिंह अटवाल / अधिशासी अभियंता विढ्युत वितरण (खंड उ.पा.का.लि. रानीखेत (अल्मोरा	8136.00	2013-14	31/03/2014	30/09/2014
		3444.00			30/09/2014
		5280.00			30/09/2014
4	सर्वश्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट अधिशासी / अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत	37278.00	23/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		371	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
5	सर्वश्री हाइवे कन्स्ट्रकशन गांधी चौक रानीखेत अधिशासी अभियंता / निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग,सल्ट	72198.00	29/06/2014	31/07/2014	19/08/2014
6	सर्वश्री संजय सिंह बिष्ट अधिशासी / अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत	10665.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		3410.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
7	सर्वश्री हर गोविन्द सिंह बिष्ट / अभियंता निर्माण खंड लोक अधिशासी निर्माण विभाग रानीखेत	1156.00	23/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		17804.00	26/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		2737.00	29/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		1100.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		3663.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
08	सर्वश्री दिनेश चन्द्र भट्ट /अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत	20963.00	26/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		1946.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		4823.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
		16746.00	31/03/2014	30/04/2014	15/05/2014
	Total	**₹311762 x 2= ₹623524/-**			

भाग 2 (ख)

प्रस्तर-01 मिथ्या प्रमाण पत्र “सी” देने के फलस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.56 लाख ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5 गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)- खण्ड-2 राज्य कर, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री टूरिस्ट जनरल स्टोर सदर बाजार रानीखेत, टिन नं0 05000265126 रेडीमेड गारमेंट्स की खरीद-बिक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में अंतर्राज्जीय खरीद ₹ 744362/- के सापेक्ष 12 प्रपत्र “सी” निर्गत किए गए थे। गोपनीय पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि व्यापारी केन्द्रीय पंजीयन का प्रमाण-पत्र धारक नहीं है। इसलिए उपरोकतानुसार ₹ 744362/- पर 5% की दर से ₹ 37218/- का डेढ़ गुणा ₹ 55827/- अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के सज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: मिथ्या प्रमाण पत्र “सी” देने के फलस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.56 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर02- विलम्ब से जमा कर पर अर्थदंड का अनारोपण ₹0.14लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देयकर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देयकर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री ज्योतिका इंडेंन गैस एवं सर्वश्री रानीखेत हार्डवेयर स्टोर द्वारा स्वीकृत कर ₹113390/- विलम्ब से जमा किया गया है जिसपर नियमानुसार10 % ₹11340/- का अर्थदंड लगाया जाना चाहिए था जो नहीं लगाया गया |

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा की जांचोपरांत नियमनुसार कार्यवाही की जाएगी |

विलम्बसेजमाकरकाविवरण

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	धनराशि(**₹**)	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (**₹**)
1.	सर्वश्री ज्योतिका इंडेंन गैसटिन-05000114873 वर्ष -2014-15	16000(प्रथम तिमाही)62115(तृतीय तिमाही)	20-07-14 20-01-15	29-03-15 30-01-15	1600 6212
2.	सर्वश्री रानीखेत हार्डवेयर स्टोर टिन-05000223513 वर्ष-2014-15	13275(प्रथम तिमाही) 22000(तृतीय तिमाही)	20-07-14 20-01-15	29-07-14 22-01-15	1328 2200
योग					₹ 11340

STAN

STAN-01:- ब्याज का जमा न कराया जाना ₹ 0.07 लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2 राज्य का अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री हर्षित इंटरप्राइजेज़, रानीखेत टिन 05005941081 का व्यापार वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण आदेश दिनांकः 27.07.2017 को पारित किया गया था। जिसमें स्वीकृत कर ₹ 12213/-की ब्याज सहित मांग निकाली गयी थी। पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा उक्त मांग के सापेक्ष ₹ 12213/- दिनांक 24-08-2017 की जमा किया गया था। इस धनराशि पर 15% वार्षिक की दर से जमा करने की दिनांक तक ब्याज जमा किया जाना अपेक्षित था। उक्त धनराशि पर 47 माह का ब्याज ₹ 7175/- आंगणित किया जाता है।
(2) उक्त व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में प्रारम्भिक रहतिया ₹ 478000/-, खरीद ₹ 7858543/- बिक्री ₹ 8632136/- एवं अंतिम रहतिया ₹1288436/- दर्शाया गया था। व्यापारी द्वारा प्रारम्भिक रहतिया एवं अंतिम रहतिया कर की दर के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया था। पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा प्रदर्शित प्रारम्भिक रहतिया ₹ 478000/-, को 5% कर की दर की वस्तु मान लिया जाये तो 5% दर की वस्तु पर 19% का लाभ दर्शाया गया था। उकतानुसार 13.5% कर की दर की वस्तु ₹ 5062163/- पर 19% लाभ ₹ 961811/- जोड़कर बिक्री ₹ 4735538/- घटाते हुए ₹1288436/- अंतिम रहतिया बचता है। यह समस्त ₹ 1288436/- का 13.5% कर की दर की वस्तु का अंतिम रहतिया है। वर्ष 2012-13 का अन्तिम रहतिया एवं 2014-15 का अन्तिम रहतिया कितने प्रतिशत का कितना था, स्पष्ट अंकित नहीं पाया गया।
उपरोक्तानुसार उक्त व्यापारी की पत्रावली का प्रारम्भिक रहतिया एवं अंतिम रहतिया कर की दर के अनुसार वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है।
विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।
अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
SRA/CT-08/2011-12	-	01,02 STAN-1
CT-07/2015-16	-	01,04,05,

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, अल्मोडा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री ज्ञान चन्द्र	सहायक आयुक्त
2	डा0 प्रियंका	सहायक आयुक्त
3	श्री कमल किशोर जोशी	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(राजस्व क्षेत्र)